न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वि0 प्रा0 प0 सख्या–82/2008

1. श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 श्री करमा उर्फ कर्मसिंह
2. सुखेदवसिंह पुत्र स्व0 श्री करमा उर्फ कर्मसिंह
3. श्रीमति वन्दना पुत्री स्व0 श्री करमा उर्फ कर्मसिंह
4. परमेश्वरी पुत्री स्व0 श्री करमा उर्फ कर्मसिंह
5. श्रीमति निर्मलादेवी बैवा श्री करमा उर्फ कर्मसिंह
6. श्री उगमसिंह उर्फ उगमा पुत्र स्व0 श्री रामा उर्फ रामसिंह
7. श्रीमति रूकमा पुत्री स्व0 श्री रामा उर्फ रामसिंह
8. श्रीमति सीता पुत्री स्व0 रामा उर्फ रामसिंह

   समस्त जाति रावतान निवासीयान सालरमाला प्रथम हाल निवासी अजीतगढ वाया जालिया तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूसिंह पुत्र स्व0 खूमा पुत्र केशा जी
2. गणपतसिंह पुत्र स्व0 खूमा जी
3. जमनी पुत्री स्व0 खूमा जी
4. फून्दी पत्नि बाबूसिंह

   सभी जाति रावतान निवासीयान सालरमाला प्रथम हाल निवासी अजीतगढ वाया जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
5. श्री चमनसिंह पुत्र स्व0 गणेश पुत्र दोला
6. मालसिंह पुत्र स्व0 गणेश पुत्र दोला
7. श्रीमति गंगा पुत्री स्व0 गणेश पुत्र दोला
8. केली पुत्री स्व0 गणेश पुत्र दोला
9. छग्गू पुत्री स्व0 गणेश पुत्र दोला
10. नैना पुत्र स्व0 गणेश पुत्र दोला
11. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय, मसूदा
12. श्रीमान् उप पंजीयक बिजयनगर जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 30.06.2017

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में सांराशतः निवेदन किया है। कि ग्राम सालरमाला प्रथम भू0 अ0 नि0 रामगढ के खसरा नम्बर 496, 497, 499, 490, 495, 498, उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों में रेकाडेर्ड खातेदार काश्तकार प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता/एवं प्रार्थी संख्या 5 के पति स्व0 करमा एवं प्रार्थी संख्या 6 से 8 के पिता स्व0 रामा एवं अप्रार्थी

संख्या 1 से 3 के पिता स्व0 खूमा यानि खूमा करमा व रामा पिता केशा की खोतदारी भूमियां की एवं श्री खूमा का 1/3 हिस्सा व रामा का 1/3 तथा करमा का 1/3 हिस्सा था उसमें खूमा पुत्र केशा ने वादग्रस्त भूमियों में अपना 1/3 हिस्सा गणेश पुत्र दौलसिंह रावत बडकोचरा को बेचान कर दिया है बल्कि खूमा के स्थान पर खरीददार एवं गणेश पुत्र दोलासिंह 1/3 हिस्से का खातेदार होकर काबिज चला आ रहा है। और उसके मरने के बाद अप्रार्थी संख्या 5 से 10 वाद ग्रस्त भूमियों में अप्रार्थी 5 से 10 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है।

किन्तु हाल खसरा नम्बर 496, 497, 499 की भूमि रामा व करमा पिता केशा के कब्जे में चली आ रही थी रामा व केशा की अकेले की खातेदारी दर्ज होने के बजाये उनके साथ स्व0 खूमा का नाम गलत व गैरकानूनी तरिके से दर्ज हो गया ख0 490, रक्बा 3 बिस्वा किस्म गै0 मु0 चाह में खूमा के नाम गलत दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त खसरा न0 490, 496, 497, 499, 495, 498 में 1/3 हिस्सा गणेश पुत्र दोला को बेच दिया था इसलिए अप्रार्थी 1 से 4 का कोई अधिकार नही रहा स्व0 खूमा का नाम गलत दर्ज होने के कारण उसके वारिसान के नाम दाखिल खारिज खुल गया उनको फायदा उठाकार ख0 न0 490, 498, 499, में अपना हक नही होते हुए अप्रार्थी बाबूसिंह पत्नि श्रीमति फून्दी अप्रार्थी 4 के बेचान कर चुपचाप उसका नामान्करण स0 248 दिनांक 8–9–07 को अमल दरामद करवा लिया तथा गलत इन्द्राजो की प्रार्थीगण का दिनांक 22.08.2008 को हुई तब राजस्व रेकार्ड की नकले ली तब उन्हे गलत इन्द्राजो की जानकारी हुई इसलिए प्रार्थना पत्र लाने की आवश्यकता हुई। अतः अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाए

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी 1 से 4 का निवेदन रहा कि विवादग्रस्त भूमिया ख0 न0 496, 499, 490, में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 4 सयुक्त कब्जा काश्त है जिसका राजस्व रेकार्ड व मौके पर बटवारा नही होने के कारण कम ज्यादा भूमि को लेकर विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थी स0 1 से 4 अपनी अपनी भूमियों की तरकियात नही कर सकते है और प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सयुक्त खरीदारी की भूमियां है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कल्पिनिक व मनगणन तथ्यों पर लाया गया है। सव्यय निरस्त फर्माया जावे।

मैनें उभयपक्षान के तर्क वितर्क एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि विवादित आराजी में उभयपक्षान सयुक्त रूप से काबिज काश्त की आराजीयात है। तथा वाद पत्र का निस्तारण मेरिट पर होना है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसले शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को सरे इजलास राष्ट्रिय लोक अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.23 17:11:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: